भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02

:Phone 2661263,2737446 **Fax**: 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:bsgmadhypradesh@gmail.com

5/11/2018

राज्य स्तरीय योजना समिति बैठक दिनांक 30 आक्टूबर 2017 भोपाल

–: कार्यवाही विवरण :–

राज्य स्तरीय योजना समिति की बैठक दिनांक 30 आक्टूबर 2017 को राज्य मुख्यालय भोपाल के सभागृह में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई । राज्य मुख्य आयुक्त महोदय के आकस्मिक कार्य (केबिनेट बैठक) होने के कारण उनके निर्देश पर राज्य आयुक्त स्काउट की अध्यक्ष्यता में बैठक प्रारंभ की गई जिसमें निम्न सम्मानीय सदस्य उपस्थित हुये–

1	श्री डी.एस.राघव	राज्य आयुक्त स्काउट(अध्यक्ष)
2.	डॉ बलवान सिंह	राज्य कोषाध्यक्ष भोपाल
3.	श्री आलोक खरें	राज्य सचिव (संयोजक)
4.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल
5.	श्री आर डी सोलंकी	मुख्यालय आयुक्त–स्काउट
6.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट राज्य मुख्यालय भोपाल
7.	श्री कमल किशोर	सहायक आयुक्त बैतूल
8.	श्रीमती सी.के. उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड
9.	श्री बी.एल.शर्मा	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्का.
10.	श्रीमती कल्पना मीना	जिला कमिश्नर (गाइड,) जिला संघ भोपाल
11.	श्री एच. सिद्धिकी	ए.एस.ओ.सी. भोपाल (प्रोजेक्ट प्रभारी)
12.	श्री जी.आर.गारगे	लेखाधिकारी भोपाल
13.	श्री डी.पी.मिश्रा	सहायक राज्य सचिव भोपाल

श्री आलोक खरें राज्य सचिव व बैठक संयोजक ने उपस्थित सदस्यों की जानकारी देते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय से बैठक प्रारंभ की स्वीकृति प्राप्त की एवं बैठक का शुभारंभ करते हुये माननीय अध्यक्ष व सभी संम्मानीय सदस्यों का स्वागत किया । सभी के व्यक्तिगत परिचय के पश्चात बैठक के एजेण्डा से अवगत कराया एवं बैठक के एजेण्डा अनुसार बिन्दुवार कार्यवाही प्रारंभ की । श्री सोलंकी जी द्वारा कहा गया था कि इस बैठक में योजना तैयार की जाना है ऐसी बैठक में राज्य कोषाध्यक्ष, लेखाधिकारी, प्रोजेक्ट प्रभारी, पंजीयन प्रभारी, को भी बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहियें।

विन्दु क्र.1– गत बैठक का पालन प्रतिवदेन –

दिनांक 23 फरवरी 2017 की बैठक के पालन प्रतिवेदन के संबंध में प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अवगत कराया गया कि सभी आपेक्षित विंदुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है। आर.एस.के. कों उनके द्वारा चाही गई जानकारी भेजी गई है, आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। अनुसूचित जाति विकाश विभाग के 10 ज्ञानोदय विद्यालयों द्वारा कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है। आदिवासी विकाश से प्राप्त राशि से शिविर आयोजित किये जा रहें है।

श्री सोलंकी जी द्वारा कहा की सभी यूनिट लीडर के प्राप्त ओवेदन पर तत्काल कार्यवाही कर समय पर वांरट जारी किये जाने चाहियें। सदन द्वारा पालन प्रतिवेदन का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान की ।

(कार्यवाही एस.एस.)

2. सत्र 2017–18 की कार्यक्रम व योजना का प्रतिवेदन

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की योजना एवं उसके अनूरूप कार्यक्रमों के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित कायक्रमों में जिन जिलो व संभागो द्वारा आवंटित कोटा अनुसार पूर्ती नही कि जाती है, उनके विरूद्व कार्यवाही की जानी चाहिये, एवं शेष रहे कार्यक्रमों को इस सत्र किया जायें।

(कार्यवाही एस.ओ.सी./एस.टी.सी.एस./जी.)

3. प्रस्तावित कार्ययोजना सत्र 2018–19

प्रस्तावित कार्ययोजना सत्र 2018–19 का सभी सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया एवं योजना पर सहमति दी गई ।

श्री सोलंकी जी ने कहा की स्काउट–गाइड उप समिति में हुई चर्चानुसार जब तक प्रशिक्षण केन्दों पर भोतिक सुविधा पूर्ण नही हो जाती है, तब तक जिले की परिस्थिति के अनुरूप जिला स्तर पर शिविर करने की अनुमति दी जाना चाहियें ।

(कार्यवाही एस.ओ.सी./एस.टी.सी.)

4. प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2018–19

अ – राज्य स्तरीय सें लेकर ग्रुप स्तरीय कार्यक्रम सत्र 18–19 का प्रस्तुती करण करते हुये राज्य सचिव ने बताया की स्काउट – गाइड उप समिति से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्येक स्तर के कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है एवं ऐसे शिविर व कार्यक्रम जो स्थगित होते है उन्हे कम किया जायेगा। इस प्रकार राज्य स्तर पर 8 कार्यक्रम 06 प्रशिक्षण शिविर संभाग स्तर पर 01, ब्लाक स्तर पर 02 कार्यक्रम संशोधित व कम किये गये जिसका सदन द्वारा अवलोकन किया । डॉ बलवान सिंह द्वारा बताया कि तृतीय सोपान जॉच शिविर जुलाई प्रथम के स्थान पर अंतिम सप्ताह में किया जावे। श्री सोलंकी ने कहा की जिला संघ के निर्वाचन पर सतत् कार्यवाही व मॉनीटरिंग की जावें। राज्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय द्वारा निर्वाचन के संबंध में सतत् मॉनीटरिंग एवं कार्यवाही की जा रही हैं।

ब – डॉ बलवान सिंह राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा की जिन जिलो में योजना समिति की बैठक हुई है, एवं प्रतिवेदन प्राप्त हुये है, क्या उन्हें भी योजना व कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जब तक जिला सक्रिय नही होगा तब तक राज्य स्तर पर लक्ष्यों की पूर्ती नही हो सकेंगी।

श्री खरें ने बताया की जिला संघ जहां निर्वाचित है वहा पर सभी उपसमितियों के गठन व बैठक हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

श्री दिसोरिया ने बताया कि जिलों में योजना समिति की बैठक की जाती है, किंतु जिला स्तर से योजना व कार्यक्रंम तैयार कर भेजने का प्रचलन नही है। राज्य स्तर से प्रस्तावित कार्यक्रम व योजना गाइड लाइन के रूप में भेजी जाती है, जिसके आधार पर जिलों द्वारा कार्यक्रम अपने जिलो की परिस्थितियों अनुसार तैयार किये जाते है।

स – डॉ सिंह द्वारा कहा कि आगे जिला योजना समिति कों सक्रिय बनाना होगा एवं आगामी डी.ओ.सी. /डी.टी. सी./सचिव संगोष्ठी में जिले की योजना प्रोजेक्ट व कार्यक्रंम के संबंध में वर्कशॉप पर आगामी योजना व कार्यक्रम तैयार कराये जायें।

द – डॉ सिंह द्वारा कहा कि यूनिट लीडर्स दल का संचालन कर रहें है किन्तु शिक्षा के अधिकार अंतर्गत शुल्क विद्यालयों में नही लिया जा रहा है। आर.एस.के. से आवंटन प्राप्त नही होने पर उन दलों के पंजीयन नही हो रहे है, फलस्वरूप पंजीयन के अभाव में वारंट जारी नही किये जा रहे है। इस संबंध में नीति गत निर्णय लेकर संचालित दलों के यूनिट लीडर को वारंट जारी किये जाने चाहिये।

राज्य सचिव ने कहा कि संगठन हित में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये वांरट के संबंध में विगत 03 वर्षो की सूची का परीक्षण कर नीतिगत निर्णय लिया जावेंगा।

इ – श्रीमती मीणा द्वारा कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम फंड के आभाव में आयोजित नही हो पा रहे है। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्र के उ.मा.वि./हाई स्कूलों मे नियमानुसार स्काउट शुल्क लिया जाता है, जिनसे गतिविधियां संचालित की जानी चाहियें।

उक्त कार्यक्रमों पर प्राप्त सुझवों को सम्मिलित करते हुये सदन द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन किया ।

(कार्यवाही एस.ओ.सी./एस.टी.सी.स्का./गा.)

5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट सत्र 2018–19 पर चर्चा–

राज्य सचिव द्वारा पूर्व प्रोजेक्ट आधार पर अनुसूचित जाति विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र , एवं लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे जाने वालें प्रस्ताव की जानकारी सदन के समक्ष रखी ।

डॉ बलवान सिंह द्वारा कहा कि प्रस्तावि प्रोजेक्ट में राशि में वृद्धि की जा कर, संसोधित प्रोजेक्ट बनाया जायें एवं वोजम व वैग्स, यूनिसेफ, डिजास्टर मैनेजमैंट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट को सम्मिलित करें। इस संबंध में नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह मे बैठक आयोजित कर (नवीन प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने निर्णय लिया गया)

(कार्यवाही प्रोजेक्ट प्रभारी)

2. माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राप्त सुझाव

अंत मे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दियें:–

श्री सोलंकी ने कहा कि बैठकों में उपस्थिति नगण्य है जिस पर चिंतन किया जाना आवश्यक है। राज्य सचिव ने बताया कि कार्यालय द्वारा समय सीमा में बैठक की सूचना पत्र डॉक द्वारा एवं ईमेल द्वारा संबंधित को प्रेषित किये है, साथ ही दूरभाष पर सभी से संपर्क किया गया है।इसके अतिरिक्त यदि जिला मुख्य आयुक्त सम्मिलित नही हो पा रहे है तों जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड को प्रतिनिधि के रूप में भेजने हेतु भी सूचना दी गई थी। श्री सोलंकी ने कहा की आगामी बैठक में संबंधित सदस्यों के उपस्थिति न होने पर जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड को प्रतिनिधि भेजने का पत्र में उल्लेख किया जायें।

(कार्यवाही जे.एस.एस.)

अतं में राज्य सचिव श्री आलोक खरें धन्यवाद देते हुये कहा कि संम्मानीय सदस्यों के सुझाव पर अमल करने पर जोर दिया जायेगा ताकि प्रदेश की योजना अनुरूप कार्यक्रमों को सफल बना सकें। अतं में बैठक सआनंद सम्पन्न हुई।

संयोजक एवं राज्य सचित
राज्य स्तरीय योजना समिति म.प्र.

अध्यक्ष एवं राज्य आयुक्त स्का.
राज्य स्तरीय योजना समिति म.प्र.